भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या †3472
उत्तर देने की तारीख 11 अगस्त, 2025
20 श्रावण, 1947 (शक)

पूर्व एथलीटों के लिए अनुदान का आवंटन

†3472. श्री बलवंत बसवंत वानखडे:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि खेलो इंडिया केंद्रों (केआईसी) के अनुदान का 60 प्रतिशत पूर्व एथलीटों के पारिश्रमिक के रूप में आबंटित करने के बाद आवश्यक प्रशिक्षण, उपकरण और अवसंरचना के लिए सीमित राशि शेष बची है;

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 2022 2025 के दौरान एथलीटों के मानदेय को छोड़कर उक्त केआईसी द्वारा प्राप्त औसत वार्षिक अनुदान का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह आकलन करने के लिए कोई स्वतंत्र मूल्यांकन किया गया है कि उक्त वित्तीय आवंटन परिचालन आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार केआईसी के लिए निधि के वर्तमान आवंटन की समीक्षा करने हेतु एक तंत्र तैयार करने की योजना बना रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अवसंरचना के विकास, गुणवत्तापूर्ण कोचिंग तक पहुँच और जमीनी स्तर की भागीदारी से समझौता न हो; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) जी, हाँ। खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत, प्रत्येक खेलो इंडिया केंद्र (केआईसी) प्रति खेल विधा के लिए ₹5.00 लाख के आवर्ती वार्षिक अनुदान के लिए पात्र है। इसमें से, अधिकतम ₹3.00 लाख पूर्व चैंपियन एथलीटों (पीसीए), जिन्हें कोच के रूप में नियुक्त किया जाता है, के पारिश्रमिक के लिए निर्धारित हैं। शेष ₹2.00 लाख का उपयोग खेल उपकरण, उपभोग्य सामग्रियों, किटों और प्रतियोगिताओं या स्पर्धाओं में भागीदारी के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त, अवसंरचना में वृद्धि, उपकरणों की खरीद, सीसीटीवी लगाने और प्रशिक्षण मैदानों के मामूली उन्नयन के लिए प्रति विधा ₹5.00 लाख का गैर-आवर्ती (एकमुश्त) अनुदान भी प्रदान किया जाता है।

(ख) वर्ष 2022-2025 की अवधि के दौरान पीसीए के मानदेय को छोड़कर, प्रत्येक खेल विधा के लिए केआईसी द्वारा प्राप्त औसत वार्षिक अनुदान लगभग ₹2.00 लाख है, जिसका उपयोग प्रशिक्षण, उपकरण, उपभोग्य सामग्रियों और स्पर्धा में भागीदारी के लिए किया जाता है।

(ग) खेलो इंडिया केंद्रों की परिचालन प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए उनका समय-समय पर मूल्यांकन किया जाता है। ये मूल्यांकन, नामित खेलो इंडिया नोडल अधिकारियों द्वारा एक मानकीकृत मूल्यांकन प्रारूप का उपयोग करके किए जाते हैं, जिसमें निधि उपयोग, दिए गए प्रशिक्षण की गुणवत्ता, एथलीटों की प्रगति, भागीदारी स्तर और केंद्र की समग्र कार्यक्षमता जैसे मानदंड शामिल होते हैं। ये मूल्यांकन इष्टतम कार्यान्वयन और निरंतर सुधार सुनिश्चित करने में मदद करते हैं।

(घ) और (ङ) : सरकार खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत, खेलो इंडिया केंद्रों (केआईसी) सहित, निधि आवंटन की नियमित समीक्षा करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अवसंरचना का विकास, गुणवत्तापूर्ण कोचिंग तक पहुँच और जमीनी स्तर पर खेलों में भागीदारी से कोई समझौता न हो। केआईसी ज़िला स्तर पर खेल इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कोचिंग, उपकरण और संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं। निधि आवंटन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और पात्र संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर एक पारदर्शी, माँग-संचालित प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, जिसका मूल्यांकन व्यवहार्यता और संसाधन उपलब्धता के लिए किया जाता है। समय पर परियोजना निष्पादन की निगरानी की जाती है और लेखा परीक्षा और अनिवार्य उपयोग प्रमाणपत्रों के माध्यम से जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है।

******